राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ.2(9)()आ.प्र.एवं सहा. / लेखा / बजट / 2025–26 /   दिनांक

समस्त
जिला कलक्टर (सहायता)
राजस्थान।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में एसडीआरएफ मद में डीएमआईएस पोर्टल पर बजट आवंटन की प्रेषित की जा रही मांगों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पोर्टल डीएमआईएस पर एसडीआरएफ मद में चालू वर्ष में विभिन्न गतिविधियों के लिये प्रेषित किये जा रहे मांगपत्रों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष–2025–26 एवं भविष्य के लिये निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते हैः–

1. पूर्व में प्राप्त समस्त मांगपत्रों को पोर्टल पर लौटाया जा रहा / गया है। पूर्व की अवधि की बकाया मांग के लिये मांगपत्र 30–04–2025 तक डीएमआईएस पोर्टल पर आवश्यक रुप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उसके बाद पुरानी अवधि की कोई मांग स्वीकार नहीं होगी।
2. वित्त वर्ष 2025–26 एवं भविष्य में किये जाने वाले बजट आंवटन का 1 माह की अवधि में आहरण एवं भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि पीडित व्यक्ति को तत्काल सहायता दी जाकर राहत प्रदान की जा सके। यदि आवंटित बजट का आहरण एवं भुगतान समय पर नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी /कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
3. किसी गतिविधि /आपदा / खराबे के लिये प्रेषित की जा रही मांग के साथ प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रुप से संलग्न करावें, जिसमें उस गतिविधि / मद में अब तक की गई मांग, पूर्व में किये गये आंवटन के विरुद्व व्यय तथा बकाया की स्थिति का उल्लेख हो। स्वीकृति से पूर्व एसडीआरएफ मानदण्डों व विभागीय दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा इसका उल्लेख स्वीकृति में आवश्यक रुप से किया जावे।
4. प्रायः यह देखा गया है कि जिला कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट राशि का आहरण / भुगतान तुरन्त न किया जाकर काफी समय में बिल आहरित किया जाता है। जिससे व्यय का अनुपात प्रभावित होता है। वित्तीय वर्ष [illegible] में बिल भेजे जाने पर लाभार्थी के खातों में राशि अन्तरित नहीं हो पाती तथा आगामी वर्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.04.03 10:12:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14545448

बजट की पुनः मांग की जाती है। अतः डीएमआईएस पोर्टल पर बजट की मांग उन्हीं प्रकरणों की भेजी जावे जिनकी सभी औपचारिकताओं की पूर्तिया कार्यालय स्तर पर की जा चुकी है।

5. प्रत्येक स्वीकृति में यह अंकन आवश्यक रुप से किया जावे कि घोषित की गई किसी भी आपदा के पात्र लाभार्थियों में से लाभ वितरण एवं अवशेष रहे लाभार्थियों की क्या स्थिति है इस हेतु प्रत्येक स्वीकृति में निम्नानुसार सूचना सम्मिलित कर प्रेषित करावें :–

मद/गतिविधि के लिये सवत् /अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभा थीयों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थीयों की	
	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7

नोटः–अवशेष प्रकरणों में देरी का कारण का उल्लेख भी किया जावे।

आपके द्वारा प्रेषित मांगपत्र पर आंवटित बजट के उपयोग न होना वित्तीय नियमों में अनियमितता की श्रेणी में आता है। तथा मदों में होने वाली बचतों के लिए महालेखाकार कार्यालय तथा विधानसभा को अवगत कराना होता है। साथ ही आवंटित राशि का व्यय न होने पर अगले वित्तीय वर्ष में पुनः राशि की मांग की जाती है। अतः चालू वर्ष में अब राशि की मांग प्रेषित करते समय उपरोक्त निर्देशों को पालना सुनिश्चित की जावे।

(भगवत सिहं)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,जयपुर।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी लेखा(बजट)शाखा, आपदा प्रबन्ध सहा0 विभाग,जयपुर।

Signature Not Verified

संयुक्त शासन सचिव

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.04.03 10:12:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14545448